



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052025-263147
CG-DL-E-16052025-263147

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2136]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 15, 2025/वैशाख 25, 1947

No. 2136]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 15, 2025/VAISAKHA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2025

का.आ. 2186(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1162 (अ) दिनांक 12 मार्च, 2025 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के सुपौल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 327AD सरायगढ़ (NH-327A से प्रारंभ) - लालगंज-गणपतगंज [NH-131 New (NH-106 old) पर समाप्त] पथ के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 10.672 तक के भू-खण्ड पर पथ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, प्रचालन हेतु व भूमि अपेक्षित है। (चौड़ीकरण/मजबूतीकरण एवं 2 लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "26 मार्च, 2025" को "द टाईम्स ऑफ़ इंडिया" और "दैनिक जागरण" में प्रकाशित किया गया था,

और शून्य आक्षेप प्राप्त हुए थे और समक्ष प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3ध की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल, बिहार की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उक्त अधिनियम की धारा 3ध की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए.

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3ध की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

बिहार राज्य के सुपौल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-327AD सरायगढ़ (NH-327A से प्रारंभ)-लालगंज-गणपतगंज [NH-131 New (NH-106 old) पर समाप्त] पथ के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 10.672 के अन्तर्गत संरचना सहित अथवा संरचना रहित भू-अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: सुपौल			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: राघोपुर					
गांव का नाम: धरहरा					
1	3280	अन्य (बकास्त मालिक)	आवासीय	0.4556	उमेश साह पिता स्व0 हरकिशुन साह वो राजकुमारी देवी पति चंदन साह वकास्त मलिक 3280
गांव का नाम: देवीपुर					
2	2112	निजी	आवासीय	0.607	सीताराम यादव वो बासुदेव यादव वो मीना देवी वो बहादुर यादव वो इंदु देवी वो आशा देवी 2112
3	2112	निजी	कृषि	0.607	सीताराम यादव वो बासुदेव यादव वो मीना देवी वो बहादुर यादव वो इंदु देवी वो आशा देवी 2112
तालुक का नाम: सरायगढ़ भपटियाही					

गांव का नाम: सरायगढ़					
4	8885	सरकारी (गैर मजुरआ खास)	आवासीय	0.1718	नसीब यादव वो छोटेकेन यादव पिता संतोखी यादव वो असरफी यादव वो बनारसी यादव पिता लालजी यादव वो परमेश्वरी देवी पति सुखदेव यादव 8885
Total				1.8414	

[फा. सं. RW/PAT/NH-327AD/Km 0.00- Km 10.672/LA/2020-21/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2025

S.O. 2186(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1162(E). Dated 12th March, 2025 Published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Construction of Road, maintenance, management and operation of National Highway No. 327AD.Saraigarh (starting from its junction with NH-327A)-Lalganj-Ganpatganj [terminating at its junction with NH-131 new (NH-106)] in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 10.672 in the district of Supaul, in the State of Bihar.

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Times of India" and "Dainik Jagran" Dated 26 March 2025; under sub section (3) of section 3A of the said Act:

And whereas Zero objection have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority:

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, namely, the District Land Acquisition Officer, Supaul, Bihar, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose:

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said schedule shall vest absolutely in the Central government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km 0.000 to Km 10.672 of National Highway No. 327AD. Saraigarh (starting from its junction with NH-327A)-Lalganj-Ganpatganj [terminating at its junction with NH-131 new (NH-106)] in the district of Supaul, in the State of Bihar.

State: BIHAR			District: SUPAUL		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Raghpur					
Village: Dharahara					
1	3280	Common (Bakast malik)	Residential	0.4556	UMESH SAH PITA SWO HARKISHUN SAH VO RAJKUMARI DEVI PATI CHANDAN SAH VAKAST MALIK 3280
Village: Devipur					
2	2112	Private	Residential	0.607	SITARAM YADAV VO BASUDEV YADAV VO MINA DEVI VO BAHADUR YADAV VO INDU DEVI VO ASHA DEVI 2112
3	2112	Private	Agriculture	0.607	SITARAM YADAV VO BASUDEV YADAV VO MINA DEVI VO BAHADUR YADAV VO INDU DEVI VO ASHA DEVI 2112
Taluk: Saraigarh Bhaptiyahi					
Village: Saraigarh					
4	8885	Government (Gair majurua khas)	Residential	0.1718	Nasib Yadav Vo Chhotaken yadav pita santokhi Yadav Vo Asrafi Yadav Vo Banarsi Yadav Pita Lalaji Yadav Vo parmeswari devi pati Sukhadev Yadav 8885
Total				1.8414	

[F. No. RW/PAT/NH-327AD/Km 0.00- Km 10.672/LA/2020-21/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director